साविक खसरा नम्बर 57 व 86 के हाल खसरा नम्बर 102 से 112, 159/652, 160/653, 268/275, कुल किता 15 रकबा 2.20 है० में भी जाति चमार के स्थान पर गुर्जर ही दर्ज की गई। तुलसा पुत्र सुक्खा व बंशी पुत्र तुलसा जाति चमार का देहान्त हो चुका है। प्रार्थीगण का नाम बतौर वारिस खातेदार दर्ज है लेकिन जाति चमार के स्थान पर गुर्जर दर्ज की गई है जो मौका एवं पूर्व रिकार्ड सम्वत 2018 के खिलाफ है। सम्वत 2018 के खाता संख्या 2 व 44 पर प्रार्थीगण के दादा तुलसा पुत्र सुक्खा जाति चमार दर्ज थी। सम्वत 2020 में बन्दोबस्त विभाग ने उक्त जमाबन्दी सम्वत 2018 के विपरीत प्रार्थीगण की जाति चमार के स्थान पर गुर्जर दर्ज कर दी। प्रार्थीगण के दादा एवं पिता एवं प्रार्थीगण की जाति प्रारम्भ से ही जाति चमार है, सहवन से बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियान द्वारा जाति चमार के स्थान पर गुर्जर दर्ज कर दी है जो गलत है। इस गांव में या सम्पूर्ण पंचायत क्षेत्र में तुलसा पुत्र सुक्खा गुर्जर नाम का कोई व्यक्ति नही है। सन! 1975 में प्रार्थीगण के पिता व चाचा को अन्त्योदय में भूमि आवंटन की गई थी जिसमें भी प्रार्थीगण के पिता व चाचा की जाति चमार दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा खरीद की गई आराजी व नियमन की गई आराजी में भी प्रार्थीगण के जाति चमार दर्ज है। प्रार्थीगण ने बैंक से लोन के लिए प्रार्थना पत्र दिया, बैंक ने जाति के कारण किसान क्रेडिट कार्ड नही बनाया उस समय प्रार्थीगण को पता चला की हमारी जाति चमार के स्थान पर गुर्जर दर्ज कर दी गई है। प्रार्थीगण द्वारा अन्य भूमि जो क्रय की गई थी ग्राम बख्तपुरा के इंतकाल नम्बर 42, 43, व 45 में भी प्रार्थीगण की जाति चमार दर्ज है। 102 से 112, 159/652, 160/653, 268/275, कुल किता 15 रकबा 2.20 है० वाके ग्राम बख्तपुरा तहसील व जिला अलवर में जाति गुर्जर के स्थान पर चमार दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार अलवर से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, अलवर द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रार्थीगण के दादा, पिता, चाचा व स्वयं प्रार्थीगण की जाति चमार होना अंकित किया है।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

पत्रावली आज प्रशासन गाँवों के संग अभियान–2021, कैम्प बख्तपुरा में पेश हुई।

प्रार्थीगण एवं वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण को सुना। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीगण की जाति गुर्जर के स्थान पर चमार दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र में प्रार्थीगण की जाति चमार दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2018 में तुलसा पुत्र सुक्खा जाति चमार साकिन देह खातेदार, नामान्तकरण संख्या 42 सम्वत 2035 में बंशी पुत्र तुलसा जाति चमार साकिन देह अलाटी गैर खातेदार, जमाबन्दी सम्वत 2031–2034 में तुलसा पुत्र सुक्खा की जाति चमार एवं नामान्तकरण संख्या 43 में रामकिशन पुत्र तुलसा जाति चमार का अंकन किया हुआ है।

वकील प्रार्थीगण की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण की जाति गुर्जर के स्थान पर चमार दर्ज किया जाना उचित समझते है।

अतः तहसीलदार अलवर को, हाल आराजी खसरा नम्बर 102 से 112, 159/652, 160/653, 268/275, कुल किता 15 रकबा 2.20 है० वाके ग्राम बख्तपुरा तहसील अलवर में प्रार्थीगण की जाति गुर्जर के स्थान पर जाति चमार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। अहकाम जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2021 को लिखाया जाकर कैम्प ग्राम पंचायत बख्तपुरा में मजमेआम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(प्यारेलाल सौठवाल)
उप खण्ड अधिकारी
अलवर

।। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी – प्यारे लाल सोठवाल, आर०ए०एस०

राजस्व प्रार्थना पत्र नं० 3/13 तारीख रज्जू 27.07.2021

01– रामनारायण पुत्र बंशी चमार

02– किशनलाल पुत्र बंशी चमार

03– सोहन लाल पुत्र बंशी चमार

04– धनीराम पुत्र बंशी चमार

05– जयराम पुत्र बंशी चमार

06– हुरली पत्नी स्व० बंशी चमार

निवासीयान ग्राम बख्तपुरा तहसील व जिला अलवर। –प्रार्थीगण

बनाम

01– राजस्थान सरकार –अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम</u>

–: निर्णय :– दिनांकः 13.11.2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 102 से 112, 159/652, 160/653, 268/275, कुल किता 15 रकबा 2.20 है० वाके ग्राम बख्तपुरा तहसील व जिला अलवर में स्थित है। जिसके बन्दोबस्त सम्वत 2020 से पूर्व खसरा नम्बर 210, 211, 212, 214, 219, 221, 222 राजस्व रिकार्ड में तुलसा पुत्र सुक्खा चमार के नाम खातेदार का अंकन है। सम्वत 2020 में उक्त खसरा नम्बरों के नये नम्बर 57 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा, 86 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, कुल किता 2 कुल रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा तुलसा पुत्र सुक्खा के नाम रिकार्ड में दर्ज़ है। परन्तु जाति चमार के स्थान पर बन्दोबस्त कर्मचारियों ने सहवन से गुर्जर दर्ज कर दिया। सम्वत 2051 में बन्दोबस्त कर्मचारियान ने

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (रा०)